पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन पर सम्मेलन

केन्दीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन विषय पर पीएफआरडीए द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन दिनांक 16 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों को एक ऐसा मंच प्रदान करना था जहां अभिदाताओं की संख्या और सेवाओं से संबंधित एनपीएस के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जा सके और आगे का मार्ग उपलब्ध कराया जा सके। लगभग सभी मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया।

आये हुए प्रतिभागियो का स्वागत करते हुए पीएफआरडीए के पूर्ण कालिक सदस्य अर्थशास्त्र, डाॅ0 बी एस भण्डारी ने अधिनियम के प्रावधानों और विनियमों में उल्लेखित सरकारी नोडल अधिकारियों की भूमिका में वृद्धि को देखते हुए नियमित अभिदाता अंशदान की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नोडल अधिकारियों के क्षमता निर्माण में वृद्धि पर जोर दिया ताकि वे अभिदाताओं को वित्तीय साक्षर और जागरूक बना सके। उन्हांनें वर्ष 2013 में पीएफआरडीए अधिनियम को पारित किया जाना और वर्ष 2014 में अधिसूचित किये जाने का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने पीएफआरडीए द्वारा महत्वपूर्ण विनियमों जैसे शिकायत निवारण और निकास और प्रत्याहरण को अधिसूचित कर मजबूत तंत्र स्थापित करने को भी रेखांकित किया। विनियमों की अधिसूचना ने आवधिक अंशदानों के संकलन और उन्हंे अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों सहित प्रणाली की विभिन्न कार्यप्रणालियों के दायित्वों को निर्धारित किया है। उन्होंने अभिदाता के अंशदान समय पर जमा कराने की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अपनायी जाने वाली समयसीमा के संबंध में वर्ष 2009 में व्यय विभाग के कार्यालय आदेश का जिक्र किया। सदस्य

अर्थशास्त्र ने सरकारी कार्यालयों के सभी तीनों स्तरों पीआएओ, पीएओ और डीडीओ को अभिदाताओं के लाभ हेतु उनके ज्ञान में अभिवृद्धि करने की सलाह दी। और अंत में उन्होंने कहा कि नियमों में किसी भी प्रकार की चूक शास्ति अधिरोपण का कारण बन सकती है जो किसी बात का हल नहीं है।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष, श्री हेमंत जी कांट्रेक्टर ने केन्द्रीय सरकार के अभिदाताओं की संख्या में वृद्धि सराहना की जो 16 लाख के आंकड़े को पार गई है और जिसके कारण केन्द्र सरकार के अभिदाताओं एयूएम बढ़कर मार्च 2016 में बढ़कर 46,000 करोड़ रूपये से अधिक है और जो कुल अभिदाताओं को 14 प्रतिशत और कुल प्रबंधन के अधीन आस्तियो का 41 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि एक पेंशन विनियामक के रूप में पीएफआरडीए के समक्ष अभिदाताओं के हितांे का ध्यान रखना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती थी जिसके लिए नये अभिदाताओं के पंजीकरण, उनके अंशदान का जमा करना, उनके अनुरोधों पर कार्रवाई करना और उनके निकास और प्रत्याहरण आवेदनों का निपटान करने के लिए समय पर कार्रवाई की गई। इस संबंध में उन्होंने बताया कि पीएफआडीए अभिदाता पंजीकरण और निकास की आॅनलाइन प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर रहा है जिससे यह प्रक्रिया अधिक सरल होगी और बेहतर सुविधाएं देने में मददगार साबित होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की सभी प्रतिभागी इस सम्मेलन का उपयोग अपने सुझाव देने और सभी शंकाओं को दूर करने और मुद्दों का समाधान करने के लिए करेंगे।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार डाॅ. शशांक सक्सेना ने प्रतिभागियों को परिभाषित लाभ प्रणाली से परिभाषित अंशदान प्रणाली में रूपांतरण के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एनपीएस का संचालन एक बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है और एक करोड़ अभिदाताओं के साथ एक लाख करोड़ से भी अधिक एयूएम के साथ इसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने केन्द्र सरकार सेक्टर में शामिल नोडल अधिकारियों की भूमिका को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने एनपीएस की विभिन्न गतिविधियों के संबंध समयसीमा का पालन किये जाने की महत्ता पर भी जोर दिया और आये हुए प्रतिभागियों को इस मंच का इस्तेमाल अपनी जानकारी में वृद्धि हेतु करने की सलाह दी।

महाप्रबंधक श्री आशीष कुमार ने अपने समापन सम्बोधन में नोडल अधिकारियों को एनपीएस के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने एनपीएस परिचालन को बेहतर बनाने में संबंधित मंत्रालयों के एफए और सीसीए द्वारा निभायी जा सकने वाली भूमिका पर भी जोर दिया।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 16.03.2016